

## निगम की तोड़दस्ता ने ढहाई दुकानदार की बनाई अतिक्रमित शेड सड़क पर अतिक्रमण करने वाले अन्य 4 पर भी कार्रवाई, जोन 5 की राजस्व और विशेष तोड़दस्ता की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने निगम की टीम द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने के साथ ही स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत हैं व इसके लिए वे निगम की गठित बेदखली टीम को निर्देश दे रहे हैं। वहीं आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अतिक्रमण की शिकायत आती है तो उनका निरीक्षण कर वास्तविकता का पता लगाए और जल्द बेदखली कार्रवाई की जाए। लोकेश साहू ने विजय लक्ष्मी सोनी पति पीके सोनी के विरुद्ध हुडको में बी मार्केट शॉप नं. 10 के पीछे लोहे की पाइप गड़ाकर टिन व पीव्हीसी सीट लगाकर कर अतिक्रमण करने की शिकायत की थी। तहसीलदार नजूल ने अतिक्रमणकर्ता से जवाब प्रस्तुत करने कहा था। जवाब में अस्थाई निर्माण कर शेड बनाना स्वीकार किया। जवाब व जांच उपरांत अतिक्रमणमुक्त का नोटिस दिया गया था। जोन 5 की राजस्व विभाग व विशेष तोड़दस्ता टीम द्वारा नजूल तहसीलदार दुर्ग के आदेश पर सेक्टर 10 में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाया गया। जोन आयुक्त जोन 5 के निर्देश पर हुडको निवासी विजय लक्ष्मी सोनी और अन्य 4 लोगों द्वारा सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया गया था। इसे जोन 5 की राजस्व विभाग और विशेष तोड़दस्ता की टीम के संयुक्त प्रयास से हटाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम , सहायक स्वास्थ्य अधिकारी व्हीके सामुअल, शशांक सिंधु, दुर्योधन साहू, मंगल प्रसाद, गौकरण कुर्रे, चैतूराम यादव, खेमलाल यादव, विष्णु सोनी, मानसिंह जांगडे, डी मुसलैय्या, राहुल यादव सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

